न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2024 / 250 दर्ज दिनांक–14.06.2024
मुकदमा नम्बर 97 / 2024

1. जगदीश पुत्र परतुराम
2. जयसिंह पुत्र परतुराम निवासी ग्राम डाबडी बलौदा,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू(राज.)

बनाम

1. मनकोरी पत्नी किशनलाल जाति मेघवंशी निवासी डाबडी बलौदा, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
2. रतनलाल पुत्र परतुराम जाति जाट निवासी ग्राम डाबडी बलौदा, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
3. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

वकील आवेदक :– श्री प्रदीप झाझडिया
अनावेदक संख्या 1:– श्री संदीप सिह पूनिया
अनावेदक सं. 2:– एकपक्षीय
अनावेदक संख्या 3 :– पेरो.राज
च

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 14.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम डाबडी बलौदा पटवार हल्का तौगडा कंला की सरहद में आराजी खसरा नं. 113 रकबा 0.82 है0 की अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नं. 114 रकबा 2.38 है0 से लगती सीमाओं पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 के अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक संख्या 1 द्वारा निम्नानुसार पेश किया गयाः–

धारा 111 एंव 128 के तहत सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद होने पर निपटारा करने की व्यवस्था है जबकि प्रकरण की प्लीडिंग के मुताबिक सीमा विवाद नही है। इसलिये प्रा. पत्र वादकारण के अभाव मे खारिज योग्य है।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा फर्द सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2024 का अवलोकन करवाते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदक द्वारा कोई वादकारण नही होने का हवाला देते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड़डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2024 स्वीकार किया जाकर, राजस्व ग्राम डाबडी बलौदा पटवार हल्का तौगडा कंला की सरहद में आराजी खसरा नं. 113 रकबा 0.82 है0 की अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नं. 114 रकबा 2.38 है0 से लगती सीमाओं पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 के अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

... किये जावेगें।

Scanned with CamScanner

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14/10/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner